

अप्रथागणों को जरूरी नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक पेशी
12.01.2023 को पेश हो।

02/01/2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय वकील के उपर
प्रार्थी का दावा नोट-प्रेस में खारिज
किया जा चुका है। अब इस प्रार्थना-पत्र
212 RTI का कोई महत्व या औचित्य
नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-
पत्र 212 RTI का इसी तरह पर खारिज
किया जाता है।
पत्रावली उजल कुमार होकर शाखिल
दफ्तर हो।

Notepress



I-2-64

शुभम

21/1/23

